सायरमल बनाम नरहरिनाथ वगै०

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज<br>प्रार्थना पत्र वाजदायरी      18/19 | नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी हुई |
|---|---|---|
| 3-7-19 | पत्रावली पेश हुई। वकलाय फोरन<br>उप./अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी<br>दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में<br>है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु<br>दिनांक 15-7-19 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर) | |
| 15-7-19 | पत्रावली पेश हुई। वकलाय फोरन<br>उप./~~अनुपस्थित~~ पीठासीन अधिकारी<br>दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में<br>है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु<br>दिनांक 18-7-19 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर) | |
| 18-7-19 | पत्रावली पेश हुई। वकलाय फोरन<br>उप./~~अनुपस्थित~~ पीठासीन अधिकारी<br>दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में<br>है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु<br>दिनांक 23-7-19 को पेश हो। | |
| 23.07.2019 | पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी न. 2 ता 4 की तामील असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील असालतन हाजिर अदालत नहीं आयें है। अतः अप्रार्थी नम्बर 2 ता 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी नं. 1 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये तीन माह से भी अधिक का समय हो चुका है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने एंव उनके हाजिर अदालत नहीं आने पर वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वाजदायरी को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में पेश दावा उनवानी सायरमल वगै0 बनाम् नरहरिनाथ वगै0 वादपत्र बाबत उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती रिकार्ड मुकदमा नम्बर 214/2014 दिनांक 21.12.2018 को बाला-बाला अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गई। जबकि उक्त प्रकरण दिनांक 20.12.2018 को पेशी में था तथा उक्त दिनांक को पीठासीन अधिकारी के दौरे पर होने की वजह से अदालत हाजा में नहीं आये व बिना वकील प्रार्थी को बताये प्रकरण में दिनांक 21.12.2018 | |

Scanned by CamScanner

साइरमल बनाम् नरहरिनाथ वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|
| | प्रार्थनापत्र वाजदायरी — मु० 19/8/19 | |

को पेशी नियत कर दी गई। जिसकी जानकारी वकील वादी प्रार्थी को नहीं हो सकी। उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई किये जाने हेतु वाजदायरी प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.2019 को मय दफा 5 मियाद अधिनियम के सहित प्रस्तुत किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र वाजदायरी को स्वीकार किये का निवेदन किया है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र वाजदायरी न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार किया जाता है तथा पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार किया जाकर मूल दावा उनवानी सायंरमल वगै0 बनाम् नरहरिनाथ वगै0 वादपत्र बाबत उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती रिकार्ड मुकदमा नम्बर 214/2014 को पुनः नम्बर पर लिया जाता है तथा प्रार्थी/पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वे सुनवाई हेतु दिनांक 19.08.2019 को न्यायालय में उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner